Dr.Uttam Kumar
SRAP College,Barachakia
Mob no-8210561032

Faculty -Commerce
Subject -Business Organisation
Class -2nd Semester
Session-2023-27

सहकारी संगठनों के दोष
(DEMERITS OF CO-OPERATIVE ORGANISATIONS)

सहकारी संगठनों के गुणों का अध्ययन करने के पश्चात् यह विचारधारा बनना स्वाभाविक ही है कि सहकारी समिति दोषों से सर्वथा मुक्त है किन्तु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। सहकारी समितियों का निर्माण प्राय: अनुभवहीन एवं स्वार्थी व्यक्तियों द्वारा स्वयं के लाभ के लिए किया जाता है जिसके कारण इसमें दोषों का समावेश हो जाता है। यही कारण है कि सरकारी एवं गैर-सरकारी प्रयासों के बावजूद भारत में सहकारिता आन्दोलन वांछित सफलता प्राप्त नहीं कर सका है। इसका मुख्य कारण सहकारिता समितियों में अनेक दोषों का होना है। इनमें से प्रमुख दोष निम्नलिखित हैं—

(1) **अकुशल प्रबन्ध**—सहकारी समितियों का सबसे बड़ा दोष इसमें अकुशल व्यवस्था का होना है। इसमें कार्य करने वाले अधिकांश व्यक्ति अवैतनिक होते हैं जोकि बैंकिंग और व्यावसायिक विधियों से अनभिज्ञ होते हैं। जैसा मन में आता है, कार्य करते हैं। अत: व्यवसाय सही ढंग से चलाया जाना सम्भव नहीं हो पाता।

(2) **व्यावसायिक प्रेरणा का अभाव**—चूँकि इसमें लाभ के लिए कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता, अत: लाभ कम होने के कारण प्रेरणा का अभाव रहता है। ये रियायती मूल्यों पर बिक्री, बिक्री उपरान्त सेवाएँ, उधार विक्रय तथा छूट आदि की सुविधाएँ नहीं देतीं। इससे व्यवसाय की प्रगति में बाधाएँ उत्पन्न हो जाती हैं।

(3) **सीमित ग्राहक संख्या**—सहकारी समिति की क्रियाएँ प्राय: अपने सदस्यों तक ही सीमित रहती हैं। अत: उनके ग्राहकों की संख्या भी सदस्यों तक ही सीमित रहती है जिसके परिणामस्वरूप इनका क्षेत्र सीमित रहता है तथा विस्तार की सम्भावनाएँ मन्द पड़ जाती हैं।

(4) **सरकारी हस्तक्षेप**—चूँकि सहकारी समिति में सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अत्यधिक हस्तक्षेप किया जाता है, अत: ये स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य नहीं कर पातीं जिसके कारण इसके विकास की गति मन्द पड़ जाती है। धीरे-धीरे यह समिति नौकरशाही के चंगुल में फँसती चली जा रही है।

(5) **ग्राहकों को उधार देने की सुविधाओं का अभाव**—किसी भी व्यवसाय के विकास के लिए उधार रीढ़ की हड्डी के समान होती है किन्तु सहकारी समिति में माल का विक्रय नकद ही किया जाता है जिसके कारण इनका विकास रुक जाता है।

(6) **गोपनीयता का अभाव**—चूँकि सहकारी समिति में सारा कार्य लोकतान्त्रिक पद्धति के आधार पर सम्पन्न किया जाता है, अत: इसमें गोपनीयता का अभाव रहता है।

(7) **सीमित वित्तीय साधन**—सहकारी समिति की पूँजी सदस्यों द्वारा एवं सहकारी बैंकों से ऋण के रूप में प्राप्त होती है। सदस्यों की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वे बहुत कम मात्रा में ही पूँजी उपलब्ध कर पाते हैं जिसके कारण सहकारी बैंक भी ऋण कम ही देते हैं। इस प्रकार इनके पूँजी के सीमित साधन होने के कारण सहकारी समिति प्राय: वित्तीय कठिनाइयों से घिरी रहती है।

(8) **निष्क्रिय समितियाँ**—भारत में करीब 25 प्रतिशत सहकारी समितियाँ निष्क्रिय हैं। इसके सदस्य अपने निजी स्वार्थ पूर्ति हेतु इन समितियों को कागज में चला रहे हैं। सहकारी आन्दोलन की प्रगति का अध्ययन करने हेतु बनायी गयी **रामनिवास मिर्धा समिति** ने भी यह दोष बताया है।

(9) **निर्धनों को कम लाभ**—इन सहकारी समितियों का प्रमुख उद्देश्य निर्धनों को लाभ पहुँचाना है जिसमें यह सफल नहीं रहा। अधिकांश लाभ प्रभावशाली एवं सम्पन्न वर्ग को ही हो रहा है। भूतपूर्व केन्द्रीय सहकारिता मन्त्री **श्री एस.के. डे** के अनुसार, ''हम सहकारी आन्दोलन में धन इस आशा से लगाते रहे थे कि अन्तत: इसका लाभ निर्धन लोगों तक पहुँच जायेगा किन्तु हमारी धारणा सत्य सिद्ध नहीं हुई। अमीर लोग और अधिक अमीर हो गए किन्तु गरीबों की स्थिति पूर्ववत् ही दयनीय है।''